प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1982 में गुरदासपुर में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई थी। दूसरा कृषि विज्ञान केन्द्र फिरोजपुर में 1988 के दौरान स्थापित किया गया। इस पर निदेशक, विस्तार शिक्षा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। गुरदासपुर के कृषि विज्ञान केन्द्र के बजट के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12.72 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी, जबकि फिरोजपुर के कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए 24.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। इसमें से 7 लाख रुपये की राशि चालू वर्ष में रिलीज की जा चुकी है।

अपनी स्थापना के बाद से गुरदासपुर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र ने फसल उत्पादन, पशु उत्पादन, बागवानी, गृह विज्ञान और मधुमक्खी पालन, खुम्बी आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए 388 पाठ्यक्रमों का परिसर तथा परिसर से बाहर आयोजन किया है, जिनमें 19073 युवा किसानों, किसानों और खेतिहर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा 2,408 अतिरिक्त विस्तार संबंधी कार्यकलाप जैसे-क्षेत्र-दिवस, किसान, मेले, प्रदर्शन, शैक्षणिक दौरे आदि आयोजित किये गए। इन कार्यक्रमों में 1,59,541 किसानों ने भाग लिया और इनका लाभ उठाया।

फिरोजपुर के कृषि विज्ञान केन्द्र ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है। अभी कोई चार माह पहले ही फिरोजपुर में माल्लेवाल सरकारी फार्म की 40 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय को हस्तांतरित की गई है। निदेशक, विस्तार शिक्षा ने इस कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई शुरू की है।

(ग) जी हां।

(घ) अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के विभिन्न भागों में 105 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है (सूची संलग्न है) [देखिये परिशिष्ट 152, अनुपत्र सं॰ 13]। देश के हर कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में कम से कम एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का सरकार का इरादा है। धनराशि उपलब्ध होने पर देश के हर जिले में एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

शहरों के आसपास उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाना

*85. **श्री राम चन्द्र विकल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि शहरों के आसपास किसानों की किसी भी उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरसोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shortage of Drinking water in Delhi

*86. SHRI ANAND SHARMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards the persisting problem of shortage of drinking water in Delhi; and

(b) if so, what steps are proposed to be taken to augment the water supply in the Capital?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir.

(b) The per capita per day supply of water in Delhi has increased from 130 litters in 1951 to 234 litres in this year. The process of augmentation of water supply to meet the requirement of rising population of Delhi is continuous and various short term and long term measures have been taken to meet the requirement.